

दस्तावेज - 21/8/22

दिनांक - 22-6-22

प्रपत्र-6

"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"

(रा.भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

~~खरताराम~~
22-6-22

2022
330

श्रीमान उप खण्ड अधिकारी महोदय

बालोतरा

विषय- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम खोदा राम की हवा की जमाबन्दी संवत् 354/200, 352/206, 353/207, 355/207

खरताराम पुत्र मिश्रा उर्फ नरसिंह को संशोधित कर खरथाराम पुत्र नरसिंघा राम करके देना

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

प्रार्थी का नाम सैलान सहायता द्वारा खरताराम के स्थान पर खरथाराम करने की अनुशंसा की जाती है।

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

प्रस्तुत दस्तावेज एवं फोटो की जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम खरताराम पुत्र मिश्रा उर्फ नरसिंह को बजाय सही नाम खरथाराम पुत्र नरसिंघा राम की सुद्धि (दुरुस्ती) की जाने की अनुशंसा की जाती है।

प्रार्थी का आवेदन को स्वीकार कर दुरुस्ती करने की अनुशंसा की जाती है।

आदेश

तहसीलदार, पंचपदरा
NTDR Patodi

रिपोर्ट पटवारी द्वारा कल NT के आदेश पर सहायता इसी उद्देश्य के क्रम में किया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी



[Handwritten signature]
22/6